

कांड संख्या.....धारा अन्तर्गत.....दिनांक.....थाना.....
 डायरी नं.....

धारा 179 BNSS के तहत नोटिस

सेवा में,

.....

महाशय,

आपको सूचित किया जाता है किपिता.....
निवासी..... कि शिकायत पर उपरोक्त मामला दर्ज किया गया
 था। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

ऐसा प्रतीत होता है कि आप उपरोक्त उद्धृत मामले एवं उसकी जांच के
 तथ्यों/परिस्थितियों से परिचित हैं। अतः आपको सूचित किया जाता है कि.....
 ..तारीख.....के समक्ष.....समय.....पुलिस स्टेशन.....
 पर उपस्थित हों।उपरोक्त उद्धृत मामले के संबंध में नई
 दिल्ली।

जांच अधिकारी का नाम.....

थाना.....

दिनांक.....

नोट :-

1. उपस्थित न होने पर धारा 208 **BNSS** के तहत दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है।
2. 15 वर्ष से कम आयु और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, महिला मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो गंभीर स्थिति में हो उन्हें थाना पर भौतिक रूप से उपस्थित होने से छूट दी गई है, जब तक कि वे स्वयं उक्त मामलों के अनुसंधान में आने के लिए इच्छुक ना हो।

थानाध्यक्ष.....